हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड अनुसार संशोधित किया जाना उचित है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर पत्रावली गुरदेव सिंह बनाम सेवक सिंह आदि प्रकरण संख्या 61/2011 निर्णय दिनांक 12.12.2015 का अवलोकन किया गया। निर्णय में सतनाम सिंह के हिस्सा में मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 18 में 0.084 हैक्टर भूमि सहवन से लिखी जानी रह गई व सेवक सिंह 4.996 हैक्टर व मुखत्यार कौर 1.259 हैक्टर भूमि को सेवक सिंह पुत्र हजूर सिंह, मुखत्यार कौर पत्नी हजूर सिह जाति जटसिख का हिस्सा मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 1 ता 25 की 6.198 हैक्टर नहरी भूमि कर दिया गया। यह एक लिपिकीय भूल है। जिसे सही किया जाना उचित है। अतः प्रकरण में पारित निर्णय, डिक्री दिनांक 12.12.2015 में सतनाम सिंह पुत्र इन्द्र सिंह के हिस्सा में चक 44 एफ के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 18 में 0.084 हैक्टर भूमि दर्ज किए जाने व सेवक सिंह पुत्र हजूर सिंह (4.996 हैक्टर), मुखत्यार कौर पत्नी हजूर सिह(1.259 हैक्टर) जाति जटसिख का हिस्सा मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 1 ता 25 की 6.198 हैक्टर नहरी भूमि पढा जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस निर्णय के शेष अंकन बदस्तुर रहेगे। संशोधित पर्चा डिक्री उपर्युक्तानुसार जारी हो। आदेश सुनाया गया। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर